(110)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) R.5099-पी/15

452
8.10.15

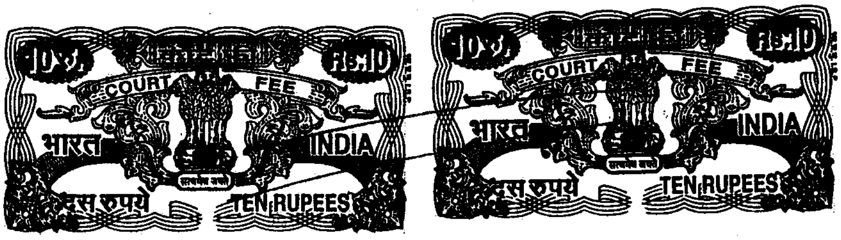


Rs. 201/-

कृपाशंकर पाण्डेय पिता स्व0 सुमेश्वर प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम ऊधौपुरवा थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

हिच्छलाल तिवारी तनय फक्कड प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम नन्दनपुर, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

————अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

श्री कृष्णलाल पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 8-X-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रीवा जरिये राजस्व प्रकरण कमांक–2 / अ–5 / 2013–14 आदेश दिनांक 19 / 08 / 2015

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि आराजी नम्बर–28 / 2 रकवा 0.38 ए0 व आराजी नम्बर–29 / 2 रकवा 0.84 ए0 स्थित ग्राम नन्दनपुर, तहसील मऊगंज, आवेदक के मालिकत्व की भूमियां है । आवेदक के मालिकत्व व कब्जे दखल की भूमि नम्बर–28 / 2 रकवा 0.38 ए0 का जुज रकवा 0.02 ए0 तथा आराजी नम्बर–29 / 2 रकवा 0.84 ए0 का जुज रकवा 0.23 ए0 मऊगंज से सीतापुर बाया नन्दनपुर, सडक व ग्राम पंचायत सड़क हेतु अधिग्रहीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5099–दो/2015 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15–5–2017 | आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टंर रीवा के प्रकरण कमांक 2/अ–5/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक ने 4 साल से अधिक समय के विलंब से निगरानी प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर अवधि बाधित मानते हुये निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने विस्तार से विवेचना कर आवेदक द्वारा विलंब के कारणों को समाधानकारक नहीं माना है। अपर कलेक्टर के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाने पर ही उसे माफ किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |